

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2020

जयपुर, दिनांक : 20.03.2020

आदेश

कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.03.2020 के क्रम संख्या 24 के द्वारा डा. अशोक कुमार माथुर, प्रमुख विशेषज्ञ (विधि विज्ञान), जो वर्तमान में निदेशालय में उपस्थिति प्रस्तुत कर रहे थे, की सेवाएँ अग्रिम आदेशों तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को सौंपी गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए डा. माथुर की सेवाएँ अग्रिम आदेशों तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम को तुरन्त प्रभाव से सौंपी जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(संजय कुमार)

शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग एवं पंचायती
राज (चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्यमंत्री, महोदय
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जयपुर/जोधपुर
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/जयपुर प्रथम
7. संबंधित अधिकारी
8. कम्प्यूटर सेल/ निजी /रक्षित पत्रावली।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।


(नवल बिहारी ढलवाल)
शासन सहायक सचिव